न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 169/2025 (2025/594)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
हुकमसिंह पुत्र भंवरलाल जाति राव निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1. चन्द्रभान पुत्र बंशीलाल जाति राव निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 2. पदमसिंह पुत्र मगसिंह जाति राजपूत निवासी निम्बला तहसील लूणी जिला जोधपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी।

वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह।
2. प्रतिवादी संख्या एक की और से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित।

दिनांकः–13.02.2026

–: : निर्णय : :–

वादी द्वारा एक राजस्व वाद 64/2024 बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा ग्राम डोली कांकाणी तहसील लूणी के खसरा संख्या 53 रकबा 4.2087 हैक्टेयर का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किये जाने का वाद पेश किया। उक्त वाद में निर्णय दिनांक 27.11.2024 को किया गया। श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 09.12.2025 की पालना में उक्त राजस्व वाद में निर्णय दिनांक 27.11.2024 अपास्त किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह तहसीलदार लूणी से उभय पक्षकारान की उपस्थिति में नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए मुख्य सड़क पर प्रत्येक पक्ष को समान अनुपात में भूमि प्रदान करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब कर उस पर उभय पक्ष को आपत्तियां प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार वाद का निस्तारण करने के निर्देश प्राप्त हुए है।

अतः वाद को पुन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तहसीलदार लूणी को इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/2026/01 दिनांक 06.01.2026 को तहरीर जारी कर श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 09.12.2025 के आदेशानुसार उभय पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2026/407 दिनांक 05.02.2026 के द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकारान संयुक्त खातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिकी पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 05.02.2026 के अनुसार विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरमीम इन्द्राज करें। बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 05.02.2026 डिकी का अभिन्न अंग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो। तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी
उपखण्ड अधिकारी लूणी